जिले के 6 निकायों के आम निर्वाचन का आगाज

आज से भरे जाएंगे नाम निर्देशन फार्म चुनाव दो चरणों में

अनूपपुर (ब्यूरो) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के मुताबिक अनूपपुर जिले के छह नगरीय निकायों में मतदान दो चरणों में संपन्न होंगे। प्रथम चरण का चुनाव 06 जुलाई 2022 को नगर परिषद अमरकंटक में और द्वितीय चरण का 13 जुलाई 2022 को नगरपालिका परिषद अनूपपुर, नगरपालिका परिषद पसान, नगर परिषद बनगवाँ (राजनगर), नगर परिषद डोला तथा नगर परिषद डूमरकछार में होंगे। जिसके लिए नाम निर्देशन फार्म भरने का कार्य आज से प्रारंभ हो जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री मीना ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन दोनों चरणों के लिए 11 जून 2022 को प्रातः 10.30 बजे से होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम

तारीख 18 जून 2022 शनिवार प्रातः 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा(जांच) 20 जून 2022 सोमवार प्रातः 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून 2022 बुधवार को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन का कार्य 22 जून 2022 बुधवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण के लिये 06 जुलाई 2022 बुधवार और द्वितीय चरण के लिए 13 जुलाई 2022 बुधवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण के लिए 17 जुलाई 2022 रविवार को तथा द्वितीय चरण के लिए 18 जुलाई 2022 को प्रातः 09.00 बजे से होगी।

अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा जाति प्रमाण पत्र

नगरीय निकायों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ अपनी जाति का उल्लेख करना होता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी की जाति की पुष्टि के संबंध में नगरपालिका निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी की निर्देशिका अक्टूबर 2020 के नियम 14 के कंडिका 3 में स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान में अपनी जाति वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।

केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना लिख देना या प्रारूप में मुद्रित इन शब्दों के सामने केवल सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जाति वर्ग का उल्लेख यदि न किया गया हो तो ऐसा करने को कहा जाए।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति ली जाए। नगरपालिका निर्वाचन में अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो अभिलेख लगाए जाने है उसके बारे में म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है।

इन अभिलेखों में यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य बताया गया है। आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाला अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों,निर्देशों एवं माननीय सक्षम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों का अध्ययन आवश्यक होगा।

यहां होंगे जमा

नगरपालिका अनूपपुर के पार्षद पद के नाम निर्देशन पत्र के लिए कलेक्टर न्यायालय कक्ष को रिटर्निंग ऑफीसर का कक्ष बनाया गया है, जहां अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।

इसी तरह नगरपालिका पसान के लिए नगरपालिका भवन पसान, नगर परिषद बनगवां के लिए शासकीय कन्या उ.मा.वि. राजनगर, नगरपरिषद डोला के लिए शा. हाईस्कूल डोला तथा नगर परिषद डूमरकछार के लिए शासकीय हाईस्कूल पौराधार में तथा नगरपरिषद अमरकंटक के लिए नगर परिषद कार्यालय अमरकंटक में रिटर्निंग ऑफीसर का कार्यालय नियत किया गया है।

जिला पंचायत सदस्य के 11 वार्डो के 80 अभ्यर्थियों को रिटर्निग आफीसर द्वारा आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह

अनूपपुर (ब्यूरो)राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निग आफीसरों द्वारा पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु 11 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र वापस लिए गए, जिसमें वार्ड क्रमांक 2 से विनीता पति अनिल, सुशीला पति रामनारायण, सुनीता पति रमेश कुमार केवट, धनवती पति राकेश प्रसाद, पुष्पा चतुर्वेदी पति दिनेश प्रसाद चतुर्वेदी, वार्ड क्रमांक 3 से प्रभा सिंह राठौर पति श्यामनारायण राठौर, सविता सिंह राठौर पति राम सिंह राठौर, वार्ड क्रमांक 5 से ज्ञानेन्द्र सिंह पिता स्व.रामरुद्र प्रताप सिंह, वार्ड क्रमांक 06 से रामप्रसाद रौतेल पिता चिकनिया रौतेल, वार्ड क्रमांक 7 से मंगलदीन पिता स्व. मनीराम साहू, वन्दना द्विवेदी पति नारायण प्रसाद द्विवेदी शामिल है।

कलेक्टर एवं रिटर्निग आफीसर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसके अनुसार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र वार्ड क्र. 01 अनुसूचित जाति महिला हेतु 06 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 02 अनारक्षित महिला हेतु 08 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 03 अनारक्षित महिला हेतु 07 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 04 अनुसूचित जनजाति महिला हेतु 03 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 05 अनारक्षित मुक्तहेतु 07 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 06 अनुसूचित जनजाति मुक्तहेतु 07 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 07 अनारक्षित मुक्त हेतु 11 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 08 अनुसूचित जनजाति मुक्तहेतु 09 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 09 अनुसूचित जनजाति महिला हेतु 05 अभ्यर्थी, वार्ड क्र. 10 अनुसूचित जनजाति महिला हेतु 8 अभ्यर्थी तथा वार्ड क्र. 11 अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु 9 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हैं।

चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। चुनाव चिन्ह प्रमुख हैं तीर कमान, दो पत्तियां,उगता सूरज, पतंग, छाता, गाड़ी, लालटेन, फावड़ा और बेलचा, बिजली का बल्ब, सिलाई मशीन, हाथ चक्की, टेबल फैन जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं।

प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन की शपथ के साथ हिंदुस्तान पावर में संपन्न हुआ पर्यावरण सप्ताह

अनूपपुर (ब्यूरो) औद्योगीकरण के विस्तार के बीच पर्यावरण और प्रगति के बीच बेहतर संतुलन अनिवार्य है।

कोई भी संवेदनशील और जवाबदेह उद्योग पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता अवश्य देता है। हिंदुस्तान पावर ने परित्यक्तखदानों और गड्ढायुक्त भूखंडों का राखड़ से भराव और ट्रेन के जरिए इस अपशिष्ट को सीमेंट सयंत्रों तक पहुंचाने की अभिनव पहल कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरक कार्य किया है।

हिंदुस्तान पावर परिसर में आयोजित पर्यावरण सप्ताह के समापन समारोह में मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल, के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव मेहरा ने यह कहा।

उन्होंने हिंदुस्तान पावर द्वारा फ्लाई ऐश का सौ फीसदी इस्तेमाल सुनिश्चित करने की दिशा में की गयी सफल पहल की भी सराहना की। पर्यावरण मानकों के साथ विद्युत उत्पादन की महत्ता पर मंथन वाले इस समारोह का आयोजन 3 जून से 10 जून तक हुआ। इस मौके पर कंपनी के आपरेशन एंड मेनटेनेंस हेड अजित चोपड़े ने कहा, ÷पर्यावरण से हमारा अस्तित्व जुड़ा है। सोडियम लाइट की जगह एलईडी लाइट को अपनाकर कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रेरक पहल की है।

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के प्रमुख आरके खटाना ने औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट के वैज्ञानिक ढंग से निपटान के लिए कंपनी द्वारा की गयी पहल पर रोशनी डाली। पर्यावरण विभाग के प्रमुख डा. भोला प्रसाद कुशवाहा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा उठाए गये कदमों पर गहन रोशनी डाली।

इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण थीम पर केंद्रित आनलाइन क्विज, पेंटिंग, पोस्टर, स्लोगन लेखन और संभाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें कंपनी कर्मियों, अनुबंधित कंपनियों के कर्मचारियों, कामगारों, कंपनी टाउनशिप की महिलाओं और बच्चों ने उत्साहित भागीदारी निभायी। समापन समारोह के दिन कंपनी प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा इन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर कंपनी परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी हुआ।

संयुक्तराष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था 'केवल एक धरती।

मतदान के दिवस कामगारों को मिलेगा अवकाश
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जारी किए निर्देश

अनूपपुर (ब्यूरो) त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के तहत जिले में तीन चरणों में 25 जून 2022 शनिवार, 01 जुलाई 2022 शुक्रवार एवं 08 जुलाई 2022 शुक्रवार को मतदान होना है। जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया के श्रेणी में आते है, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दिए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थाओं के कामगारों को मतदान की सुविधा की दृष्टि से नियोजकों व प्रबंधकों को मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान,संस्था को निर्धारित दिन बंद, अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद, अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों से बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने की अनुमति देंगे।

बूथ विजय संकल्प अभियान मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने किया जनसंपर्क मांगा भाजपा के पक्ष में समर्थन

अनूपपुर (ब्यूरो)भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चलाए गए बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 के बूथ क्रमांक 157 ,158 में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भाजपा काय कर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बूथ पर निवासरत मतदाताओं से जन संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने हेतु अपील की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मतदाता सूची का मंथन किया और चुनाव को लेकर चर्चा की गई।मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ मैदान में उतर जाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए संकल्प लें।इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि उदय प्रताप सिंह ,भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अशोक लाल, वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह, राजू गुप्ता, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह सहित भाजपा मंडल पसान के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रतीक आवंटन कार्य का प्रेक्षक विनोद चतुर्वेदी ने लिया जायजा

अनूपपुर (ब्यूरो) म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के लिए नियुक्तप्रेक्षक विनोद चतुर्वेदी द्वारा त्रिस-तरीय पंचायत आम निर्वाचन की तैया रियों का जायजा लेने के तहत कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत जैतहरी एवं कोतमा में अभ्यर्थिता से नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन कार्य का अवलोकन किया गया।

इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से जान कारी प्राप्त की।

शासकीय तुलसी महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया न्यूज़लेटर तिपान बुलेटन का विमोचन

अनूपपुर (ब्यूरो)जिले के अग्रणी शासकीय तुलसी महाविद्यालय ने अपने त्रैमासिक न्यूज़लेटर तिपान बुलेटन का शुभारंभ किया है। शुक्रवार को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रम सिंह बघेल द्वारा इसका विमोचन किया गया। यह एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर है, जिसे महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें महाविद्यालय के समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रकाशन किया जाएगा।

विमोचन के इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. बघेल ने न्यूजलेटर के संपादक मंडल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के साथ महाविद्यालय के स्टॉफ का प्रयास अत्यंत सराहनीय है और नैक मूल्यांकन में सफल होने हेतु इसी प्रकार के प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस न्यूज़लेटर का विचार महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के सहायक प्राध्यापक एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. अमित भूषण द्विवेदी ने दिया एवं इन्हीं के निर्देशन में इसका सफलतापूर्वक प्रकाशन हो सका।

बदरा पहुंच कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाम वापसी व प्रतीक आवंटन तैयारी का लिया जायजा

अनूपपुर (ब्यूरो)त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर विकासखण्ड स्तर पर सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना द्वारा विकासखण्ड मुख्यालय बदरा पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र वापसी एवं प्रतीक आवंटन कार्य की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर रिटर्निंग ऑफीसर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कमलेश पुरी, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तहसीलदार ईश्वर प्रधान, एसडीओपी शिवेन्द्र सिंह बघेल, बीडीओ लालबहादुर वर्मा, पीसीओ आदेश टोप्पो सहित सर्व संबंधित उपस्थित थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)

सुश्री सोनिया मीना ने पंच, सरपंच, जनपद सदस्य के प्राप्त आवेदन एवं नाम वापसी की प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की।उन्होंने निर्वाचन को दृष्टिगत रख मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का नियमतः पालन के निर्देश दिए।उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन में की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली तथा सर्व संबंधितों को मैदानी भ्रमण कर आदर्श आचरण संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, शस्त्र लाईसेंस निरस्तगी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।

सुषमा मिश्रा बनी नगर परिषद् बरगवां(अमलाई) की सीएमओ

अनूपपुर (ब्यूरो) मध्यप्रदेश शासन ने सुषमा मिश्रा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद त्यौंथर जिला रीवा को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बरगवाँ (अमलाई) का मुख्य नगर पालिका अधिकारी नियुक्त किया है।इनकी नियुक्ति से नगर परिषद में चल रहे सभी विवादों का निदान होगा और नगर परिषद उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगी।

किराए के मकान में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहे 20 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी पुलिस जुटी जांच में

अनूपपुर (ब्यूरो) कोतवाली अनूपपुर के अनूपपुर नगर में वार्ड नंबर 9 निवासी बी.पी.द्विवेदी के मकान में किराए से रह रहे 20 वर्षीय युवक ने शुक्रवार की दोपहर घर के अन्दर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।घटना की जानकारी पड़ोसियों द्वारा पुलिस को दिए जाने पर पुलिस द्वारा मौके से पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव का पीएम कराने हेतु भेज कर जांच प्रारंभ की। घटना में के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कोतमा थाना अंतर्गत ग्राम गोडारूनिवासी रामपति पाठक का 20 वर्षीय पुत्र तरुण पाठक जो जनवरी 2022 से तुलसी कॉलेज अनूपपुर में बी.ए.फर्स्ट ईयर का छात्र होने पर उनके यहां किराए का मकान लेकर अकेले रह रहा था।

शुक्रवार की सुबह तरुण अपने कमरे से बाहर निकला जिसके बाद वह घर के अंदर गमछा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।जिसे पड़ोस की एक महिला ने उसके घर का दरवाजा खुला देख कर झांकने बाद फांसी में लटका देख कर अपने पति छोटेलाल नापित को जानकारी दी। जिस पर उनके द्वारा कोतवाली अनूपपुर को घटना से अवगत कराए जाने पर सहायक उपनिरीक्षक संतोष पांडे,प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह के साथ मौके में पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा कर अड़ोस-पड़ोस के लोगों से एवं मृतक के परिजनों को सूचना देकर उनके आने परपूछताछ कर जांच प्रारंभ की गई।

तथा मृतक के शव को पी.एम. हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। प्रारंभिक जांच अनुसार मृतक के आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

शासकीय कार्यालयों में फाइव- डे वीक व्यवस्था 31 दिसम्बर तक

अनूपपुर (ब्यूरो) शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) की व्यवस्था 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगी। सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में सम्पूर्ण प्रदेश के शासकीय कार्यालयों के कार्य-दिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गये थे। यह आदेश 30 जून 2022 तक प्रभावशील था, जिसे 31 दिसम्बर 2022 तक बढ़ाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए है।